अनुदान संख्या 104 – महिला और बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 104–MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	7428,00,00	8628,02,00	8558,09,84	–69,92,16
पूरक	Supplementary	1200,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				66,60,74

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में,बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	1844.00	1974.00	1963.97	–10.03
पु.	R.	130.00			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	48342.00	34098.32	33817.68	–280.64
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–14245.68			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	73500.00	1.15	. .	-1.15
पू.	S.	12000.00			
पु.	R.	–85498.85			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	607657.00			
पू.	S.	108000.00	810114.35	810114.10	–0.25
पु.	R.	94457.35			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	9289.00	7922.44	7922.35	–0.09
पु.	R.	–1366.56			

(I) 104282.00 लाख रू. का प्रावधान अड़तालिस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 103080.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.104282.00 lakhs remained wholly unutilised under forty eight heads; of these Rs.103080.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235"-"समाज कल्याण - महिला कल्याण"-

(A) Major Head "2235" – "Social Welfare - Women's Welfare" –

(क) "स्वयंसिद्धा"- 497.00 लाख रु; और

(a) "Swamyasidha" – Rs.497.00 lakhs; and

(ख) "बलात्कार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास" - 5310.00 लाख रु.।

(b) "Relief to and Rehabilitation of Rape Victims" – Rs.5310.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-finalisation of the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"-

(B) Major Head "2552" –

(क) ''समाज कल्याण - बाल कल्याण''

(i) ''कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम'' - 1000.00 लाख रु.;

(ii) ''एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 79870.00 लाख रु. (दिसंबर, 2009 में प्राप्त किए गए 12000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित);

(iii) ''एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम'' - 600.00 लाख रु;

(iv) ''राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम'' - 1100.00 लाख रु.;

(ख) ''समाज कल्याण -महिला कल्याण '' -

(i) ''अल्पवास गृह''- 160.00 लाख रु.;

(ii) ''प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता'' - 300.00 लाख रु.;

(iii) ''केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड''- 260.00 लाख रु.;

(iv) ''स्वाधार'' - 150.00 लाख रु.;

(v) ''बलात्कार पीड़ितों को राहत और उनका पुनर्वास'' - 590.00 लाख रु.;

(ग) ''समाज कल्याण - अन्य व्यय - सूचना, जनशिक्षा और प्रकाशन'' - 500.00 लाख रु.; और

(घ) ''समाज कल्याण-सुधारात्मक सेवाएं-किशोरों के सामाजिक अपसमायोजन की रोकथाम और नियंत्रण'' - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को

(a) "Social Welfare - Child Welfare" –

(i) "Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers" – Rs.1000.00 lakhs;

(ii) "Integrated Child Development Services" – Rs.79870.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.12000.00 lakhs obtained in December, 2009);

(iii) "Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" – Rs.600.00 lakhs;

(iv) "Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)" – Rs.1100.00 lakhs;

(b) "Social Welfare – Women's Welfare" –

(i) "Short Stay Home" – Rs.160.00 lakhs;

(ii) "Support to Training and Employment Programme (STEP)" – Rs.300.00 lakhs;

(iii) "Central Social Welfare Board" – Rs.260.00 lakhs;

(iv) "Swadhar" – Rs.150.00 lakhs;

(v) "Relief and Rehabilitation of Rape Victims" - Rs.590.00 lakhs;

(c) "Social Welfare – Other Expenditure-Information, Mass Education and Publication"– Rs.500.00 lakhs; and

(d) "Social Welfare – Correctional Services-Prevention and Control of Juvenile Social Maladjustments" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on

किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "समाज कल्याण - महिला कल्याण" -

(i) "स्वयंसिद्धा" - 1355.00 लाख रु.;

(ii) "सशर्त प्रसूति हितलाभ स्कीम"- 300.00 लाख रु.; और

(ख) "समाज कल्याण - बाल कल्याण - राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम"- 9700.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "समाज कल्याण - महिला कल्याण-स्वयंसिद्धा"- 148.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) "समाज कल्याण - बाल कल्याण" -

(i) "एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम "- 700.00 लाख रु. राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण थे।

(ii) "राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम"- 140.00 लाख रु. सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Social Welfare - Women's Welfare" –

(i) "Swayamsidha" – Rs.1355.00 lakhs;

(ii) "Conditional Maternity Benefit Scheme" – Rs.300.00 lakhs; and

(b) "Social Welfare-Child Welfare - Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)" – Rs.9700.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-finaization of schemes owing to non-receipt of approval from the Competent Authority.

(D) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Social Welfare – Women's Welfare - Swayamsidha" – Rs.148.00 lakhs – due to non-finalisation of the scheme.

(b) "Social Welfare – Child Welfare" –

(i) "Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" – Rs.700.00 lakhs – due to delay in finalization of Memorandum of Understanding with States.

(ii) "Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)" – Rs.140.00 lakhs – due to non-finalization of scheme owing to non-receipt of approval from the Competent Authority.

(ग) ''समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों की सामाजिक अपसमायोजन की रोकथाम और नियंत्रण'' - 200.00 लाख रु. स्कीम को एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम के साथ विलय किए जाने के कारण थे।

(c) "Social Welfare - Correctional Services – Prevention and Control of Juvenile Social Maladjustments" – Rs.200.00 lakhs – due to merger of the scheme with Integrated Child Protection Scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''2235''- ''समाज कल्याण''के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2235" – "Social Welfare" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''बाल कल्याण'' -

(A) "Child Welfare" –

(क) ''राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान'' - 266.00 लाख रु. की बचत (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2416.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना न किए जाने के कारण हुई।

(a) "National Institute of Public Cooperation and Child Development" – saving of Rs.266.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2416.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010) was due to non-setting up of proposed regional centers.

(ख) ''एकीकृत बाल विकास सेवाएं''- 1920.20 लाख रु. की बचत (3459.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल वाले) से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, आंगनबाड़ी कामगारों के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन न किए जाने और जीवन बीमा निगम के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(b) "Integrated Child Development Services (ICDS)" – saving of Rs.1920.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3459.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from States and Union Territories (without legislature), non-holding of award function for Anganwadi workers and availability of unspent balances with Life Insurance Corporation.

(ग) ''केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण''- 221.62 लाख रु. की बचत (380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने और संगठन में मानव संसाधन की कमी होने के कारण हुई।

(c) "Central Adoption Resource Agency (CARA)" – saving of Rs.221.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.380.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval for Action Plan and human resource deficit in the organization.

(घ) ''आवारा बच्चों के लिए स्कीम'' - 565.71 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण हुई।

(d) "Scheme for Street Children" – saving of Rs.565.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals.

(ङ) ''राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग''- 190.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(e) "National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)" – saving of Rs.190.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(च) ''एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम''- 267.02 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(f) "Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" – saving of Rs.267.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to delay in finalization of Memorandum of Understanding by the States.

(छ) ''बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकदी अंतरण स्कीम ''-500.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(g) "Conditioned Cash Transfer Scheme for Girl Child with insurance cover" – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from some States.

(खा) ''महिला कल्याण'' -

(B) "Women's Welfare" –

(क) ''राष्ट्रीय महिला ऋण निधि''- 400.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को व्यय वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "National Credit Fund for Women (RMK)" – saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of approval of proposals from Expenditure Finance Committee.

(ख) ''प्रियदर्शनी''-2695.98 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के साथ ऋण करार को देर से अंतिम रूप दिए जाने और वार्षिक कार्य योजना-1 नाबार्ड को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Priyadarshini" – saving of Rs.2695.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to late formalization of loan agreement with International Fund for Agricultural Development (IFAD) and non-completion of Annual Work Plan-1 NABARD.

(ग) ''महिलोन्मुख बजट आयोजना'' - 151.19 लाख रु. की बचत (180.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Gender Budgeting" – saving of Rs.151.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.180.00 lakhs);

(गा) ''अन्य व्यय''-

(C) "Other Expenditure" –

(क) ''अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी'' - 114.39 लाख रु. की बचत (180.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Research, Publication and Monitoring" – saving of Rs.114.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.180.00 lakhs); and

(ख) ''विविध स्कीमें'' - 191.32 लाख रु. की बचत (271.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Miscellaneous Schemes" – saving of Rs.191.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.271.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to receipt of less number of viable proposals.

(ग) ''सूचना, जनशिक्षा और प्रकाशन''- 2678.65 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''वात्सल्य मेला'' जैसे प्रमुख समारोह का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(c) "Information, Mass Education and Publication" – saving of Rs.2678.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to non-organisation of major event namely "Vatsalya Mela".

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''समाज कल्याण-बाल कल्याण-एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम''- 169.54 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Social Welfare – Child Welfare - Integrated Child Protection Scheme (ICPS)" – saving of Rs.169.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to delay in finalization of Memorandum of Understanding with States.

(खा) ''समाज कल्याण-सुधारात्मक सेवाएं-किशोरों के सामाजिक अपसमायोजन की रोकथाम और नियंत्रण''- 787.16 लाख रु. की बचत (1580.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने और स्कीम का एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम के साथ विलय किए जाने के कारण हुई।

(B) "Social Welfare - Correctional Services - Prevention and Control of Juvenile Social Maladjustments" – saving of Rs.787.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1580.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and merger of scheme in Integrated Child Protection Scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' के अंतर्गत 127.65 लाख रु. की बचत (8050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल वाले) से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न हाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare – Child Welfare - Integrated Child Development Services" – saving of Rs.127.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8050.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from Union Territory (without legislature).

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 73.53 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.73.53 lakhs occurred constituting 27 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (319.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2235'' -''समाज कल्याण - बाल कल्याण - देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम'' के अंतर्गत मार्च, 2010 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - महिला और बाल विकास मंत्रालय '' - 119.97 लाख रु. का अधिक व्यय (1844.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आई.टी. उपस्करों की अधिप्राप्ति, लोकल एरिया नेटवर्क के उन्नयन और एकीकृत बाल विकास सेवाओं की निगरानी के लिए साफ्टवेयर विकसित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण'' -

(क) ''बाल कल्याण - कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन स्कीम'' - 842.27 लाख रु. का अधिक व्यय (9152.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''महिला कल्याण''-

(i) ''अल्पवास गृहों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 145.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1590.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) ''स्वाधार'' - 147.31 लाख रु. का अधिक व्यय (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं'' - 106869.80

2.(I) The above savings were partly (Rs.319.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2010 under Major Head "2235" – "Social Welfare – Child Welfare – Scheme for Welfare of Working Children in need of Care and Protection".

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2251" – "Secretariat - Ministry of Women and Child Development" – excess of Rs.119.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1844.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of I.T. Equipments, upgradation of Local Area Network and development of software for Integrated Child Development Services Monitoring.

(B) Major Head "2235" – "Social Welfare" –

(a) "Child Welfare - Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers" – excess of Rs.842.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9152.00 lakhs);

(b) "Women's Welfare" –

(i) "Assistance to Voluntary Organisations for Setting up Short Stay Homes (SSH)" – excess of Rs.145.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1590.00 lakhs);

(ii) "Swadhar" – excess of Rs.147.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs); and

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Social Welfare - Child Welfare - Integrated Child Development Services" – excess of Rs.106869.80 lakhs (against

लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2009 में प्राप्त किए गए 108000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 699121.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 129.50 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो दोनों मामलों में प्रत्येक में 50.0 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

the total sanctioned provision of Rs.699121.00 lakhs including supplementary grant of Rs.108000.00 lakhs obtained in December, 2009).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under two heads excess of Rs.129.50 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 11 percent of the sanctioned provision in both the cases.